सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: सिवान

भर्ती सूचना

सिवान क्षेत्र के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी सह अधीनस्थ कर्मचारी हेतु भर्ती प्रक्रिया।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सिवान क्षेत्रान्तर्गत जिलों यथा सिवान, सारण एवं गोपालगंज स्थित विभिन्न शाखा/कार्यालयों हेतु सफाई कर्मचारी सह अधीनस्थ कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

<u>पात्रता</u>

1. कुल रिक्ति 52 (बावन) – सामान्य वर्ग – 22, अन्य पिछडा वर्ग-15, अजा- 9, अजजा- 6. यह रिक्ति आवश्यक्तानुसार घट-बढ सकती है ।

2. शैक्षिक योग्यता- न्यूनतम आठ वर्ग उत्तीर्णं.उच्च शैक्षिक योग्यतावाले अभ्यर्थी हेतु कोई रियायत अथवा दावा वर्त्तमान तथा भविष्य के लिए अमान्य है .

3.आयु सीमा – 18 से 26 वर्ष . (आरक्षित वर्ग हेतु छूट – अ.जा.-5 वर्ष. अ.ज.जा.- 8 वर्ष .अन्य पिछड़ा वर्ग – 3 वर्ष. शारीरिक विकलांग – 10 वर्ष. तलाकशुदा/विधवा महिला- 9 वर्ष एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए 26 वर्ष + वास्तविक सेवाकाल + 3 वर्ष ,अधिकतम 45 वर्ष)

<u>आवेदन हेतु दिशा निर्देश</u>

1. आवेदन पत्र का प्रारूप हमारी वेवसाइट www.centralbankofindia.co.in से प्राप्त किये जा सकते हैं .

2. आवेदक आवेदनपत्र प्राप्त कर साफ-साफ अक्षरों में भरकर उम्र,शिक्षा,निवास एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र (केवल आरक्षित श्रेणी हेतु) की छायाप्रति को संलग्न करते हुए ***<u>साधारण डाक</u>*** द्वारा निम्न पते पर भेजें. नियोजनालय में पंजीकृत अभ्यर्थी नियोजन पंजीकरण कार्ड की प्रति भी संलग्न करें . इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से प्रेषित आवेदन अमान्य/अस्वीकृत माने जाएंगे.

3. आवेदक अपना आवेदन निम्न पते पर भेजें:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,क्षेत्रीय कार्यालय,प्रधान डाकघर के समीप ,नया बाजार ,सिवान 841226.

4.उपरोक्त पते पर आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 02/11/2012 है.

5.अधूरे भरे हुए आवेदन अथवा बिना उपरोक्त प्रमाणपत्र संलग्न किये गये आवेदन स्वत: निरस्त समझे जाएंगे.

6.कृपया लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में " सफाई कर्मचारी सह अधीनस्थ कर्मचारी/अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग में भर्ती हेतु आवेदन" अंकित करें.

7. वांक्षित आवेदकों को बैंक द्वारा निर्धारित किये गये तिथि को साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र भेजा जाएगा . निर्धारित तिथि को अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी के आवेदन पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जाएगा

8. गैर वांक्षित तथा अयोग्य पाये गये आवेदकों को कोई सूचना देने के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा. इस संदर्भ में बैंक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

9. किसी भी विवाद का निपटारा सिवान न्यायालय के अधीन ही किया जाएगा .

10. विस्तृत जानकारी हमारी वेवसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है .

उपक्षेत्रीय प्रबंधक